प्रेस विज्ञप्ति

04.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लेह (संघ राज्य लद्दाख), जम्मू और सोनीपत, हरियाणा में 6 स्थानों पर 02.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला लेह के लोगों सहित निर्दोष लोगों को एमोलिएंट कॉइन नामक नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के माध्यम से 10 महीने की छोटी अवधि में उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने से संबंधित है। इस नकली क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व और प्रचार मेसर्स एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से नरेश गुलिया निवासी सोनीपत, हरियाणा द्वारा किया गया था, जिसे सितंबर, 2017 में यूके में शामिल किया गया था। इस नकली मुद्रा कारोबार को लेह में अजय कुमार चौधरी और चरणजीत सिंह उर्फ चुन्नी, जम्मू और लेह के अतीउल रहमान मीर द्वारा आगे बढ़ाया गया और 10 महीने में उनके निवेश को दोगुना करने के नाम पर और इसके अतिरिक्त उक्त नकली क्रिप्टोकरेंसी के विपणन के माध्यम से एक निश्चित प्रतिशत कमीशन प्राप्त किया गया।

ईडी ने अतीउल रहमान मीर और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इससे पहले भी, ए आर मीर और उनके एजेंटों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट लेह द्वारा गठित समिति द्वारा एक जांच की गई थी, जो कई निर्दोष व्यक्तियों को उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने के लिए "इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड" के नाम से एक नकली क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार चला रहे थे। उक्त जांच के आधार पर, 05-03-2020 को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा ए.आर. मीर पुत्र अजीज मीर और अन्य के खिलाफ लेह पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि लेह के अतीउल रहमान मीर, जम्मू के अजय चौधरी और सोनीपत, हरियाणा के नरेश गुलिया ने नकली आभासी मुद्रा में निवेश करके निर्दोष लोगों को धोखा दिया और व्यवसाय से एकत्र धन को लूट लिया गया और व्यक्तिगत उपयोग और विभिन्न अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया। ईडी, श्रीनगर ने अपराध की आय की पहचान करने और एमोलिएंट सिक्का व्यवसाय से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य एकत्र करने के लिए 02.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया और 1 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की और कई अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए।

आगे की जांच जारी है।